UPGK010060132026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2671/2026

विनय गिरी पुत्र स्व0 लालचन्द गिरी, निवासी–मड़हा पंडितपुरा, थाना– बेलघाट, जिला– गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०– 152/2026
अंतर्गत धारा–109(1), 352 बी0एन0एस0
थाना– बेलघाट, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक– 16.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **विनय गिरी** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र माला देवी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की पुत्री का विवाह लगभग 5 वर्ष पूर्व ग्राम मड़हा पंडितपुरवा थाना बेलघाट जिला गोरखपुर निवासी प्रमोद गिरी के साथ हुआ था। दिनांक 15.06.2026 को आपसी रंजिश एवं पारिवारिक विवाद के चलते वादी की पुत्री पर उसके देवर विनय गिरी तथा दीपमाला द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। उक्त हमले में वादी की पुत्री के शरीर के विभिन्न अंगों पर गंभीर चोटे आयी है। घटना के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके पति प्रमोद गिरी द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्यक केन्द्र बेलघाट ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी को मात्र रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। उपरोक्त मुकदमा की चोटहिल तथा उसके मायके वाले वादी मुकदमा, जो उसके पिता है, वे लोग काफी प्रभावशाली है जो अपनी लडकी का पक्ष लेकर प्रार्थी के परिवार में कलह पैदा करके परिवार में विवाद कराते रहते है और प्रार्थी के माता व पत्नी को हमेशा मारने पीटने के लिए प्रेरित करते है। प्रार्थी व उसकी माता को हमेशा अर्चना, जो कि वादी की लड़की है, मार–पीटकर गाली गुप्ता व धमकी देती रहती है जिसका वीडियो बनाया गया है। घटना की तिथि को वादी की लड़की अर्चना अपने पति प्रार्थी के भाई प्रमोद से विवाद कर रही थी और उसी क्रम में दोनों के बीच मार पीट होने लगा, जिस पर प्रार्थी उन लोगों

का झगड़ा छुड़ाने पहुँचा और डांट फटकार लगा रहा था तथा उसकी माता अर्चना देवी भी छुड़ा रही थी तभी अर्चना देवी ने उनके हाथ में काट लिया और ईट पत्थर चलाये, जो प्रार्थी के सिर में लगा और प्रार्थी का सिर भी फट गया था। इस दरमियान दोनों के बीच मार पीट से अर्चना के पति प्रमोद के हाथ से उसको चोट आ गया। प्रार्थी ने अर्चना को कभी मारा पीटा नहीं है। प्रार्थी ने अपने सिर पर आयी चोटो को लेकर थाना स्थानीय पर सूचना देने पहुँचा, जहाँ पर वादी मुकदमा, जो प्रभावशाली है, बिना कुछ सोचे समझे या परिवार में जानकारी लिये उल्टा अपने प्रभाव में आकर प्रार्थी को फर्जी तौर से प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त बना दिया है और प्रार्थी का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों (सम्पूर्ण केस डायरी एवं प्रस्तरवार आख्या) का अवलोकन किया।

6. केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की पुत्री/स्वयं की भाभी पर धारदार हथियार (कैंची) से प्रहार कर उसकी हत्या के प्रयत्न का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी में अंकित मजरूबा अर्चना देवी के अंकित बयान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके पेट में बांयी तरफ तथा बांये पैर में कैंची घोपकर घायल किया जाना बताया गया है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही पर अभिकथित घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद की गयी है। मजरूबा की बी0एस0टी0 रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सक आशीष यादव के अंकित बयान के अनुसार मजरूबा को मारपीट के दौरान किसी धारदार हथियार से उसकी छाती के बांयी ओर, बाएं कूल्हे और बांए घुटने पर जानलेवा चोटे पायी गयी, जिनका यदि समय पर ईलाज नहीं किया जाता तो मृत्यु हो जाना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विनय गिरी द्वारा मु०अ०सं०–152/2026, अंतर्गत धारा–109(1), 352 बी0एन0एस0, थाना– बेलघाट, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 16.07.2026

(प्रतीक्षा नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 01,
गोरखपुर।
JO Code – UP 2399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.07.16 16:23:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court